

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा (राज.)

जानी बाई पुत्री लालू भील पत्नि छीतरलाल बनाम
आयु 52 वर्ष जाति भील निवासी सेवधारा
तहसील लाडपुरा कोटा

-वादी

1. रामकिशन पुत्र स्व लालू उम्र
55 वर्ष जाति भील निवासी
पुरानी भील बस्ती रंगवाडी।
2. सरकार जरिये तहसीलदार
लाडपुरा।

- प्रतिवादीगण

—:: वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ::—

मुकदमा नं. 27 / 2021

वाद में आज तारीख को डिक्रीदार के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार कोई आपत्ति नहीं होने से ग्राम आनन्दपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खाता संख्या नया 53 पुराना 53 के खसरा नं० 262 रकबा 0.34 है० वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्नानुसार फाईनल अर्थात् अन्तिम डिक्री जारी की जाकर भूमि विभाजित की जाती है—

क्र०सं०	नाम खातेदार	ख० नं०	रकबा	दिशा
1.	जानी बाई पुत्री स्व० लालू जाति भील	262	0.17 है०	दक्षिणी दिशा
2.	रामकिशन पुत्र स्व लालू जाति भील	262	0.17 है०	उत्तरी दिशा

इस वाद के खर्चे लेखे...X...रूपये की राशि, आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर... X ...प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित... Xद्वारा Xको दी जाए ।

यह डिक्री आज तारीख 16 माह 4 सन् 25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	प्रतिवादी	रूपये
1. वादपत्र के लिये स्टाम्प		शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प	
2. शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प		अर्जी के लिये स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिये स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			

उपखण्ड अधिकारी
कोटा